संख्या- 32/1790 ई-2/तेरह-2014-370/99

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 27 नवम्बर, 2014

विषय: मे0 शामली डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स (ए यूनिट आफ सरशादी लाल इण्टर प्राइजेज लि0) शामली की अधिष्ठापित क्षमता 73.64 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 135 लाख लीटर वार्षिक किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-73/दो-प्रा0डी0-12, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 का क़पया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 03 सितम्बर, 2014 में आप द्वारा किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारापरान्त राजस्वहित में शासन द्वारा मे0 शामली डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वर्क्स (ए यूनिट आफ सरशादी लाल इण्टर प्राइजेज लि0) शामली की अधिष्ठापित क्षमता 73.64 लाख लीटर वार्षिक से बढ़ाकर 135 लाख लीटर वार्षिक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुनील कुमार पाण्डेय
अनुसचिव।

http://shashadesh.up.nic.in